न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—153 / 2021

प्रार्थीगणः—

1. राणसिंह पुत्र समेलसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडी
2. भंवरसिंह उर्फ अनोपसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडी
3. हेमसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडी

   तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. गोपालसिंह पुत्र डुंगरसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडी
2. दौलतसिंह पुत्र डुंगरसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडी
3. हुक्मसिंह पुत्र डुंगरसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडी

   तहसील समदडी जिला बालोतरा

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :—04.11.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोटडी तहसील समदडी की मूल खसरा संख्या 232 व 233 रकबा 78.05 व 39.07 बीघा प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की थी, जिसका तत्कालीन खातेदारान ने लोक अदालत बालोतरा में अपने हिस्सानुसार आपसी सहमति से विभाजन करवाया। तदनुसार खसरा संख्या 545 / 232, 546 / 232, 547 / 233, 548 / 233, 549 / 233, 550 / 233 व 551 / 233 रकबा क्रमशः 1.0036, 0.9955, 3.5046, 1.7887, 1.7887, 2.7923,2.7923 हैक्टेयर कायम हुए। मूल खसरा संख्या 232 व 233 से बने नये खसरे का नामान्तरकरण भरते समय हल्का पटवारी द्वारा खसरो के रकबे का इन्द्राज सही किया गया लेकिन तरमीम करते वक्त लोक अदालत में पारित आदेश मय नक्शा अनुसार [illegible] हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण की कब्जासुद भूमि का [illegible] कम्प्यूटराईज्ड कर विप्रार्थीगण की भूमि पर प्रार्थीगण का [illegible] तथा गलत तौर से तरमीम कर रेकर्ड में हेरफेर कर मौके की स्थिति [illegible] भिन्न तरमीम कर दी, [illegible] की वास्तविक कब्जा स्थिति से भिन्न दर्ज किये जाने से लट्ठा नक्शा में भी तरमीम उसी प्रकार अशुद्ध हो गयी, जिससे एक पक्ष के तरमीम शुदा स्थान पर दूसरे पक्ष

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 17:58:09 IST
Reason: SelfAttested

का कब्जा मौके पर था। अतः प्रार्थीगण ने वास्तविक कब्जानुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण द्वारा सहमति प्रस्तुत कर लट्ठा नक्शा में विवादित भूमि की विद्यमान तरमीम अशुद्ध एवं कब्जा स्थिति से विपरीत होना बताकर माफिक कब्जाकाश्त तरमीम दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

तहसीलदार समदडी से मौका रिपोर्ट तलबी की। तहसीलदार समदडी ने जरिये पत्र क्रमांक–भू.अ./2024/1051 दिनांक 24.07.2024 केद्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम एवं मौके पर कब्जा स्थिति में भिन्नता है। दोनों पक्षों ने मौका रिपोर्ट पर वास्तविक कब्जा स्थिति अनुसार तैयार नक्शा परिशिष्ट 'अ' मुताबिक लट्ठा नक्शा में तरमीम दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। चूंकि दोनो पक्ष नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार अपना कब्जा मानते हुए दुरूस्ती हेतु सहमत है और दुरूस्ती से किसी भी पक्ष के धारित कुल रकबे में किसी प्रकार की कमी पेशी नहीं हो रही है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडी तहसील समदडी की खसरा संख्या 545/232, 546/232, 547/233, 548/233, 549/233, 550/233 व 551/233 रकबा क्रमशः 1.0036, 0.9955, 3.5046, 1.7887, 1.7887, 2.7923, 2.7923 हैक्टयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार समदडी द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित पत्रांक भू.अ./2024/1051 दिनांक 24.07.2024 के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 04.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 17:58:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

प्रस्तावित नजरी नक्शा (मौका एवं पूर्व विभाजन अनुसार)

~~परिशिष्ट~~ परिशिष्ट "अ"

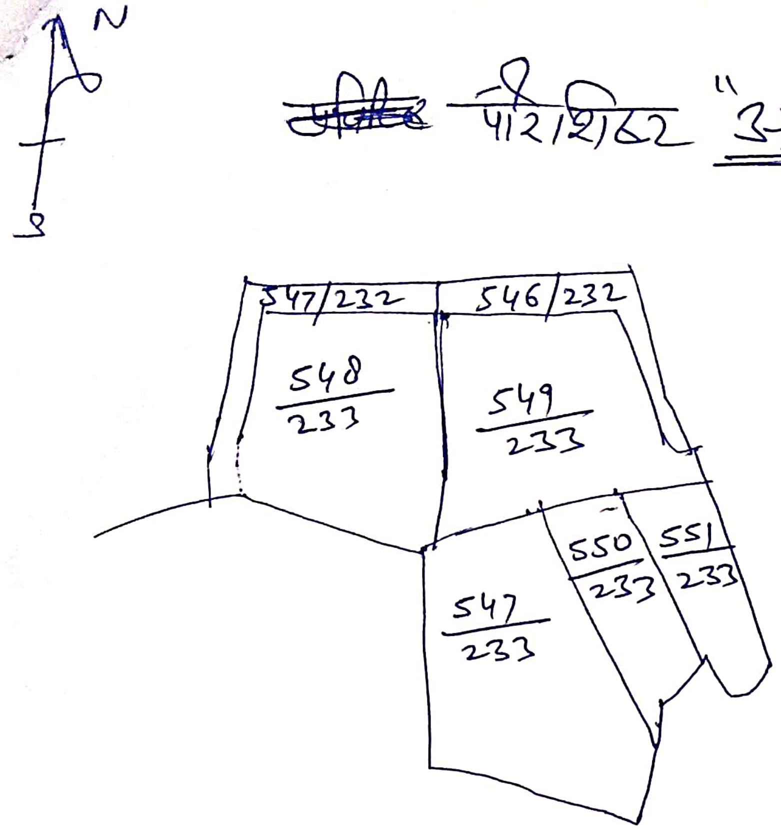

Ex-court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

पटवारी हल्का

21/11/24
प. मोकड़ी

C.S.
26/11/2024
तहसीलदार (भू.अ.) समदड़ी

Madho Singh
गोपालसिंह
कुम्पा नी.सिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 17:58:09 IST
Reason: SelfAttested